प्र.1 – समान नागरिक सहिंता (Uniform Civil Code) आधुनिक जीवन के मूल्यों के अनुरूप हैं, यदि भारत में इसे लागू कर दिया जाए तो यह महिलाओं की वर्तमान स्थिति में क्या परिवर्तन आने की संभावनाएं हैं, अपने मत के समर्थन में उत्तर दें। (200 शब्द)

मॉडल उत्तर

दृष्टिकोण:

- भूमिका में समान नागरिक सहिंता के बारे में बतायें।
- यदि भारत में इसे लागू कर दिया जाए तो यह महिलाओं की वर्तमान स्थिति में क्या परिवर्तन आने की संभावनाएं हैं। मुख्य फोकस इस बिन्दु पर होना चाहिए।
- अंत में संतुलित निष्कर्ष दें।

भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। चूँकि यह अनुच्छेद नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत आता है, अत: इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। 'समान नागरिक संहिता' लागू होने पर देश के सभी नागरिकों के लिये सभी विषयों पर एक ही कानून लागू होगा जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होगा।

महिलाओं की स्थिति और समान नागरिक संहिता

- यदि समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए तो इससे सर्वाधिक लाभान्वित महिलाएँ ही होंगी क्योंकि विभिन्न निजी कानूनों (परम्परागत प्रथाओं) के अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा दोयम दर्जा दिया गया है।
- यदि समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए तो महिलाओं को विवाह, तलाक एवं गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार एवं संपत्ति के संबंध में संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- सबसे अधिक सुधार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में होने की संभावना है क्योंकि तलाक और उत्तराधिकार के संबंध में उनकी स्थिति बहुत ही एकपक्षीय एवं दयनीय है। साथ ही, मुस्लिम समाज में जहाँ पुरुष को बहुविवाह की भी अनुमति है, वहीं महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के संबंध में बहुत ही उपेक्षा की गई है।

अत: समान नागरिक संहिता लागू करने से निश्चित तौर पर राष्ट्र की एकता को बढ़ावा मिलेगा एवं महिलाओं की स्थिति भी सुरक्षित होगी किंतु इसे लागू करने से पूर्व समाज के सभी वर्गों में आम सहमति का निर्माण करना आवश्यक है।

प्र.2- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अधिकार है, लेकिन यह किसी भी व्यक्ति के मानहानि करने का अधिकार नहीं देता है। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आलोक में इस कथन पर चर्चा कीजिए। **(200 शब्द)**

मॉडल उत्तर

दृष्टिकोण:

- अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उस पर उचित निर्बंधनों की चर्चा कीजिए।
- सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की सहायता से सिद्ध कीजिए कि मानहानि का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित नहीं है।
- अंत में संतुलित निष्कर्ष दें।

अनुच्छेद 19(1) (A) के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपना दृष्टिकोण, विचार, विश्वास और धारणा व्यक्त करने का अधिकार है। हालांकि यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है। संविधान (अनुच्छेद 19(2)) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मानहानि सहित कुछ उचित प्रतिबंध आरोपित किए हैं।

मानहानि वैसे अपमानजनक सामग्री के प्रकाशन के कार्य को संदर्भित करता है जो एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा कम करती है। ऐसा बोल या लिखे गये शब्दों या दृश्य निरूपण द्वारा किया जा सकता है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने **सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ वाद** में आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता को बनाए रखा। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार स्वतंत्र वाक् और अभिव्यक्ति के अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि एक नागरिक दूसरे की मानहानि कर सकता है। एक अन्य वाद **आर.राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य** में सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि समाचार पत्र सहमति या प्रधिकार के बिना उस हद तक लोगों के जीवन की कहानी या आत्मकथा का प्रकाशन कर सकते हैं, जहां तक वह सार्वजनिक अभिलेख से प्रकट होती है। लेकिन यदि वे सार्वजनिक अभिलेख से परे जाते हैं, तब वे प्रकाशन में नामित अधिकारियों की गोपनीयता पर आक्रमण और मानहानि करेंगे, जो अस्वीकार्य है।

प्र.3 – अमेरिका की न्यायपालिका विश्व की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक मानी जाती है, जबकि ब्रिटिश न्यायपालिका कमजोर न्यायपालिका का उदाहरण है। क्या भारतीय न्यायपालिका की स्थिति को इन दोनों के मध्य एक संतुलन माना जा सकता है? चर्चा कीजिए।

(200 शब्द)

मॉडल उत्तर

दृष्टिकोण:

- अमेरिका, ब्रिटेन की न्यायपालिका के बारे में चर्चा करें।
- पैरा चेंज करते हुए बतायें कि अमेरिका की न्यायपालिका सबसे शक्तिशाली, जबकि ब्रिटिश की न्यायपलिका कमजोर न्यायपालिका का उदाहरण है। कैसे?
- अमेरिका और ब्रिटेन की न्यायपालिका की चर्चा करते हुए भारत की न्यायपालिका इन दोनों के मध्य संतुलन कैसे है।
- अंत में संतुलित निष्कर्ष दें।

भारत और अमेरिका में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को अपनाया गया है, वहीं ब्रिटेन में परंपरागत रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव रहा है।

अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च व शक्तिशाली है जिसके अंतर्गत वह विधायिका के कानून और कार्यपालिका के आदेश को असंवैधानिक पाए जाने पर रद्द कर सकते हैं। न्यायिक पुनार्वलोकन की शक्ति दी गई। अमेरिका में न्यायिक कार्य संविधान के शब्दों में संविधान की आत्मा का वरीयता का सिद्धांत है। इसका मतलब कि संविधान की सर्वोच्चता प्रमुख नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वरीयता दी जाती है।

ब्रिटिश न्यायपालिका विश्व की कमजोर न्यायपालिका मानी जाती है। संसद ही सर्वोच्च स्तर पर न्याय देने का कार्य करती है। लोक सभा के 12 विधि लार्ड ही सर्वोच्च स्तर पर न्याय देने का कार्य करते थे। 2005 में संवैधानिक सुधार कानून पारित किया गया और विधि लार्ड की शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दी गयी है। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति केवल सीमित रूप में दी गयी है।

भारत की न्यायपालिका इन दोनों का मिश्रण है। भारत में भी न्यायपालिका को न्यायिक पुनार्वलोकन की शक्ति प्राप्त है। लेकिन न्यायिक पूनर्वालोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत है, जिसके कारण भारत में स्थापित विधि या संविधान ही सर्वोच्च है। इसके कारण भारत में न्यायाधीश संविधान से बंधा है। उसे स्वविवेक से कार्य करने की आजादी नहीं है।

प्र.4 – न्यायिक सक्रियतावाद (Judicial Activism) मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। हाल के कुछ फैसलों पर उदाहरण देते हुए बताये कि न्यायिक सक्रियतावाद के कारण मौलिक अधिकारों के दायरों में विस्तार हुआ है। (200 शब्द)

मॉडल उत्तर

दृष्टिकोण:

- भूमिका में न्यायिक सक्रियतावाद (Judicial Activism) के बारे में बतायें।
- मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से कैसे संबंधित हैं? सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसलों का उदाहरण देते हुए चर्चा करें।
- अंत में संतुलित निष्कर्ष दें।

न्यायपालिका के द्वारा विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करना न्यायिक सक्रियता कहलाता है। जब न्यायपालिका न्याय देने की अपनी परंपरागत भूमिका का उल्लंघन करके प्रशासन और विधि निर्माण में हस्तक्षेप करती है तो उसे न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं।

न्यायिक सक्रियतावाद ने एक ऐसे संक्रमण काल में संविधान में प्रदत्त नागरिकों के अधिकार की रक्षा की, जब विधायिका एवं कार्यपालिका अक्षमता का शिकार हो जाते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद के कारण मौलिक अधिकारों के दायरों में विस्तार हुआ है। **'मेनका गांधी'** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बजाय अनुच्छेद 21 में विधि की विधिवत प्रक्रिया खंड को बदल दिया और न्यायिक सक्रियता की प्रक्रिया शुरू की। इसके तहत गरिमा के साथ जीवन जीना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम यूओआई, 2014 में न्यायालय ने तीसरे लिंग पर विचार करने वाले ट्रांसजेंडर के अधिकार की पुष्टि की।

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (एनजेएसी एक्ट) में भी कहा था कि संशोधन के प्रावधान असंवैधानिक है।

इस प्रकार कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियतावाद के कारण पर्यावरण शिक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में संरक्षण प्राप्त हुआ। न्यायिक सक्रियतावाद को सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अनुचित माना जा सकता है, लेकिन व्यवहार में इसने भारत में बेहतर प्रभाव उत्पन्न किया है।